



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC



डॉ. धरवेश कठेरिया

Dr. Dharvesh Katheriya

कुलानुशासक

Proctor

दूरभाष /Phone : 07152-251878

ई-मेल : Proctormgahv@gmail.com

पत्रांक: 011/2023-24/कुला.जा.क्र. 1475

दिनांक: 03.12.2023

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की नारेबाजी करना, जुलूस निकालना, ढपली बजाना तथा अनावश्यक का शोर-शराबा करना प्रतिबंधित घोषित है। ऐसा करना अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता है। अतः ऐसे में किसी भी प्रकार के कृत्यों द्वारा अशांति उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पठन-पाठन सुचारू रूप से जारी रखने के साथ ही ऐसे किसी भी कृत्य में भागीदारी कर व्यवधान उत्पन्न न करें।

(कुलानुशासक) 03/12/23

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण
4. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
5. समस्त छात्रावास अधीक्षक
6. सुरक्षा अधिकारी
7. लीला विभाग- विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु
8. संबंधित पत्रावली

पोस्ट-हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा- 442001, महाराष्ट्र (भारत)

Post Office- Hindi Vishwavidyalaya, Wardha- 442001 Maharashtra (India) वेबसाइट /Website: www.hindivishwa.org